

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जशपुर (छ.ग.)

-:: आदेश ::-

क्रमांक/जि.शि.अधि./विभागीय मान्यता/2023-24 6222

जशपुर, दिनांक 07/10/23

अशासकीय प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय की पूर्व मान्यता आदेश में निहित निर्देशानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर वर्ष 2024-25 तक के लिये अस्थाई विभागीय मान्यता/अनुमति दी जाती है। शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर मान्यता किसी समय समाप्त की जा सकती है:-

क्र.	शाला का नाम	वि.खंड का नाम	मान्यता दी जानी वाली कक्षा	माध्यम
1.	संत जेवियर्स अंग्रेजी माध्यम स्कूल पथलगांव, विकासखण्ड-पथलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.)	पथलगांव	नर्सरी से कक्षा 12वीं तक मान्यता नवीनीकरण	अंग्रेजी

सामान्य शर्तें जिनके अधीन मान्यता दी जा रही है:-

1. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर-1) और बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 (एनेक्सर-2) विद्यालय के लिए बंधनकारी होगा।
2. संस्था वही अध्ययन पाठ्यक्रम रखेगी जो सूची प्राधिकरण द्वारा निर्धारित हो।
3. विभाग द्वारा संस्था में किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।
4. प्रबंधक शिक्षकों की संख्या, समान तथा उपकरण आदि विभाग द्वारा अपेक्षित मान एवं मानकों के अनुसार रखेंगे।
5. अशासकीय संस्थाओं में प्राचार्य एवं शिक्षकों को 62 वर्ष एवं लिपिक 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति को प्रथम बार नियुक्त न किया गया हो।
6. प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को विभाग द्वारा समय-समय पर जारी तथा लागू किये गये नियमों और विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये आदेशों का पालन करना होगा।
7. प्रत्येक कक्षा सेक्शन में 40 छात्र हों 15 से कम संख्या होने पर मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
8. प्राथमिक शाला में रुपये 10000/- पूर्व माध्यमिक शाला में 15000/- एवं हाई स्कूल हायर सेकेण्डरी शालाओं के लिये अक्षय निधि का नवीनीकरण (जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रधान पाठक/प्राचार्य के संयुक्त खाते में) रुपये 30000/- जमा होना आवश्यक है।
9. मान्यता देने का अर्थ यह नहीं है कि शिक्षा विभाग शाला को अनुदान देने हेतु बाध्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-जशपुर (छ.ग.)

जशपुर, दिनांक 07/10/23

पृ. क्रमांक/जि.शि.अधि./विभागीय मान्यता/2023-24 6223

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला जशपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, संभागीय लोक शिक्षण संरगुजा संभाग अम्बिकापुर छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड-पथलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ. एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्राचार्य/प्रधान पाठक, संत जेवियर्स अंग्रेजी माध्यम स्कूल पथलगांव, विकासखण्ड-पथलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ व आदेश पालनार्थ।


MANAGER
ST. XAVIER'S SCHOOL
PATHALGAON, JASHPUR (C.G.)


PRINCIPAL
ST. XAVIER'S ENG. MED. SCHOOL
PATHALGAON, DT. JASHPUR (C.G.)


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-जशपुर (छ.ग.)